

भारतीय नौर न्यायिक

भारत

TEN
RUPAEC

₹.10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14AA 351917

उत्तराखण्ड

२५१८५६

मालाया २५०१०१

14AA 351917

NOTARIAL

NOTARIAL

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

64, बाजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा ३तरायड़

रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र

मैं..... अंगदीश सिंह

पुत्र/पुत्री/पत्नी पट्टा लोल १४.०३.२००३ आयु/ ३६ वर्ष

जो ग्राम- दमोहरा सुरत्तेहकमता काशीपुर का/ क्रमी निवासी हूँ और उपरोक्त निवासन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ कझमी हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ कझमी हूँ

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से छुट्टीयाँ किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/ की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी):

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं २०५४
- (II) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य
- (III) साबम्भित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है शून्य
- (IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई शून्य
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे शून्य
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं शून्य

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा

(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) गागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं २०५४
- (II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है शून्य
- (III) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य
- (IV) साबम्भित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है शून्य
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे शून्य
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं शून्य

स्थान:- बाजपुर

तारीख:- १२ -१ -१२

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/ करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इराका कोई भाग गिराया नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

१०५४ स्थान पर आज तारीख १२ -१ -२०१२ को सत्यापित किया।

टिप्पणी : इस प्ररूप के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
पृष्ठ 15 का 6